

30-01-18

वकील अपीलान्त या स्वयं अपी. कोई उपोचित  
नहीं है। अपी. को बार-बार आर्जेजें दिलाई  
गई। अपी. भी ऑरस कोई उपोचित नहीं आया।  
अतः अपील अपीलान्त अदम हाजरी व कदम  
पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फिल्ल  
सुमार होकर बाद वकील जाकरा शाखिल  
दफ्तर ली।

संभागीय आयुक्त

भरतपुर, कैम्प सवाई माधोपुर